

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 416 / 2011 / अलवर

सहायक आयुक्त, वृत्त-अ, भिवाड़ी, अलवर।

.....अपीलार्थी।

बनाम

मैसर्स आशियाना हाऊसिंग लि., आंगन प्रोजेक्ट,
भिवाड़ी-अलवर हाई-वे, भिवाड़ी।

.....प्रत्यर्थी।

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से।

श्री डी.कुमार,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक :25.06.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), अलवर-द्वितीय, भिवाड़ी (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2010 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या-68/2009-10/उपा/अपील्स/अल-II/भिवाड़ी के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, भिवाड़ी-प्रथम (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत शास्ति ₹75,706/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 23.05.2009 को वाहन संख्या यू.पी. 16-एस-9505 को आशियाना आंगन-भिवाड़ी के पास अलवर-भिवाड़ी हाई-वे पर वास्ते जांच रोका गया। सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन में लदे माल जो कि नोयडा (उ.प्र.) से भिवाड़ी के लिये परिवहनीत "ऑयरन एण्ड स्टील डोरफ्रेम, नोयडा" के संबंध में दस्तावेज चाहने पर, वाहन चालक ने संबंधित दस्तोवज वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत किये। प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, माल संबंधी दस्तावेजों में अधिसूचित वस्तुओं को परिवहनीत करने के बावजूद, घोषणा प्ररूप वैट-47 संलग्न नहीं पाये जाने के कारण, वाहन चालक के बयान दर्ज किये। फलस्वरूप, प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट-47, संलग्न नहीं होने के कारण, उक्त कृत्य

लगातार.....2

को 76(2)(बी) का उल्लंघन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु प्रत्यर्थी व्यवहारी को मार्फत वाहन चालक नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में, प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से श्री तपन राघव ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। सशक्त अधिकारी द्वारा नोटिस की पालना में दिये गये जवाब को अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति व आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा इसे प्रस्तुत अपील के जरिये चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होने का कथन कर तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में, विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी बिल्डर है एवम् उसके द्वारा फ्लैट्स व मकान बनाकर, विक्रय किये जाते हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल राज्य में आयात किया गया है वह उनके द्वारा हाऊसिंग प्रोजेक्ट के तहत बनाये जाने वाले मकानों व फ्लैट्स में काम में लिया जाता है। कथन किया कि उक्त मकान बन जाने के पश्चात् केताओं को विक्रय किये जाते हैं। कथन किया कि यही नहीं कई बार प्रोजेक्ट शुरू होने व मकान तैयार होने से पूर्व ही केताओं द्वारा मकानों व फ्लैट्स की पूर्व बुकिंग करवाकर किश्तों में भुगतान किया जाता है जो विक्रय संव्यवहार के तहत आता है एवम् उक्त राशि विक्रय संव्यवहार के तहत प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त की जाती है। अतः उक्त संबंधित माल जो प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आयात किया जा रहा था पूर्णतः अधिनियम के प्रावधानों के तहत विक्रय की परिभाषा की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्य व स्थिति को ध्यान में रखते हुये सशक्त अधिकारी द्वारा माल आयात हेतु वैट-47 आवश्यक रूप से माल परिवहन के संलग्न होना मानकर, उक्त के अभाव में अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित की गयी है जिसे विद्वान अपीलीय

अधिकारी द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपने उक्त तर्कों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, पारित अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति अधिनियम की धारा 76(2)(बी) में उल्लेखित दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं किये जाने व बोगस पाये जाने की स्थिति में ही आरोपित की जा सकती है। कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यवहारी नहीं है अतः अधिनियम के प्रावधान उस पर बाध्यकारी नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि वक्त जांच माल से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, तर्क दिया कि वैट-47 माल संबंधी दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि उक्त माल प्रत्यर्थी व्यवहारी स्वयम् के उपयोग के लिये आयात कर रहा था। अतः आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील संख्या 1907/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 20.10.2013 व (1999) 25 आर.टी.जे.एस. 27 को प्रोद्धरित कर, पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया। हस्तागत प्रकरण के संबंध में मुख्य बिन्दु जो विचाराधीन है वह यह कि क्या प्रत्यर्थी अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यवहारी है? एवम् क्या प्रत्यर्थी के अपंजीकृत व्यवहारी होने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 76 व राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिसे आगे "नियम" कहा जायेगा) का नियम 53 के प्रावधान लागू होते हैं? इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वैट प्रणाली राज्य में लागू होने से पूर्व राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 व राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के प्रावधान लागू थे। इस संबंध में विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 53 का अध्ययन किया जाना आवश्यक है:-

**विक्रय कर नियम-53.- Declaration required to be carried
with the goods in movement for import within the State:-**

(1) (a) A registered dealer -

(i).....

लगातार.....3

(ii).....

(iii).....

Shall furnish or cause to be furnished a declaration Form ST-18A completely filled in all respect in ink.....

(1)(b) Any dealer or person other than a Registered dealer:-

(i).....

(ii).....

(iii) who intends to bring, import or otherwise receives any goods from outside the State, as may be notified by the State Government, of the value Rs. 10,000/- or more for use, consumption or disposal within the State, shall furnish or cause to be furnished a declaration Form ST-18AA.....

उक्त विक्रय कर नियम के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों व अपंजीकृत व्यवहारियों द्वारा राज्य में आयात / मंगवाये जाने पर वस्तुओं पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, पंजीकृत व्यवहारियों के लिये घोषणा प्रपत्र 18 ए व अपंजीकृत व्यवहारियों के लिये घोषणा प्रपत्र 18एए विक्रय कर अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के तहत विहित दस्तावेजों के संलग्न करना आवश्यक है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जरिये अधिसूचना क्रमांक एफ.4(17)एफडी/टैक्स-डिवी/2000-347 दिनांक 24.04.2000 के विक्रय कर नियम, 1955 के नियम 53(बी) को विलोपित कर दिया गया जिसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों द्वारा राज्य में अधिसूचित वस्तुओं के आयात करने पर घोषणा प्रपत्र 18एए की अनिवार्यता विक्रय कर अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के तहत विहित दस्तावेजों के संलग्न करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अर्थात् केवल राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा राज्य में अधिसूचित वस्तुओं के मंगवाये जाने पर घोषणा प्रपत्र 18 ए को दस्तावेजों के संलग्न करना बाध्याकारी कर दिया गया।

जहां तक राज्य मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 का प्रश्न है, उक्त का मूल पठन इस प्रकार है:-

लगातार.....4

53. Declaration required to be carried with the goods in movement for import within the State.- (1) A registered dealer.

- (i) who imports from any place outside the State, any taxable goods, as may be notified by the State Government, for sale; or
- (ii) who receives any taxable goods as may be notified by the State Government, consigned to him from outside the State or by way of branch transfer/depot transfer/stock transfer; or
- (iii) who intends to bring, import or otherwise receives any taxable goods as may be notified by the State Government, from outside the State for use, consumption, or disposal otherwise than by way of sale;

shall furnish or cause to be furnished a declaration in Form VAT-47, completely filled in all respect in ink and ensure that the value, date and month of use of such Form shall be punched at the specified place provided for in the Form. The counterfoil of the declaration Form shall be retained by such dealer and its portions marked as 'Original' and 'Duplicate' shall be carried with the goods in movement. However, where goods covered under single invoice are being carried in more than one vehicle, separate Form VAT-47 shall be accompanied with each of such vehicles along with photo copy of the original invoice and challan of the goods carried in the vehicle:

उक्त मूल्य परिवर्धित कर नियम के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा राज्य में आयात/मंगवाये जाने पर उक्त वस्तुओं पर, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, पंजीकृत व्यवहारियों के लिये घोषणा प्रपत्र वैट-47 अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत विहित दस्तावेजों के संलग्न करना आवश्यक है, अर्थात् केवल राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा राज्य में अधिसूचित वस्तुओं के मंगवाये जाने पर घोषणा प्रपत्र वैट-47 को दस्तावेजों के साथ संलग्न करना बाध्याकारी किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मूल्य परिवर्धित नियम व अधिनियम में भी अपंजीकृत व्यवहारियों द्वारा राज्य में माल

आयात/मंगवाये जाने की स्थिति में, केवल अधिनियम 76(2)(बी) के तहत विहित दस्तावेज माल के संलग्न करना बाध्यकारी है, इस संबंध में घोषणा प्रपत्र वैट-47 अपंजीकृत व्यवहारियों द्वारा माल के अन्य दस्तावेजों के संलग्न करने के बिन्दु पर अधिनियम में कोई प्रावधान निहित नहीं है।

जहां तक हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा वैट 47 माल के संलग्न दस्तावेजों में नहीं होने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी राज्य में विशिष्ट प्रावधानों के तहत पंजीकृत नहीं हैं। अतः अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसके लिये घोषणा प्रपत्र वैट 47 मंगवाये गये माल के संलग्न दस्तावेजों में संलग्न करने की बाध्यकारिता नहीं थी। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट 47 के अभाव में अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अपार्ट की गयी है। फलस्वरूप पारित अपीलीय आदेश में यह पीठ हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं समझती है। अतः पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


25.6.2014
(मदन लाल)
सदस्य